तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
1/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्ताव दिनांक 16/3/26 को पेश हो। Sd/- 16/2/26	
16/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/4/2026 को पेश हो। Sd/- 16/03/2026	
28/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष। नगर निकाय चुनाव 2026 की निर्वाचक नियमावली के कार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक /5/26 को पेश हो। Sd/- 28/4/26	
/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :—	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	2

(अ) प्रकरण प्रथम हुलासा :- प्रार्थी प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम रामपुर की कब्ज़ा आराजी खाता नं० 483 व 484 में अप्रार्थी 1 बाबूलाल का अवैधानिक व गैर कानूनी तथ्य से नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मौके पर अप्रार्थी 1 का कोई तलवा कब्ज़ा नहीं रहा है। आगे कथन किया कि मूल खातेदार रामा कुम्हार के खाते करीब 23½ बीघा भूमि दर्ज थी। रामा के तीन पुत्र-लक्ष्मण, नंडा व चतरा तथा बेवा बरडीबाई थे। रामा के मौत होने पर सम्पूर्ण भूमि पुत्र नंडा के खाते दर्ज हुई थी जिसके विरुद्ध ACEM court झालावाड़ के समक्ष एक suit नं० 43/1988 लक्ष्मण बनाम डूका दायर किया गया था। ACEM court ने अपने निर्णय सन् 08/4/1986 की पालना में दिनांक 19/6/1989 में दर्ज नामान्तरण नं० 969 से [illegible] डूका पुत्र नंडा की आराजी ख०नं० 2544 रकबा 1-17 बीघा, ख०नं० 2588 रकबा 9-01 बीघा, ख०नं० 2649 रकबा 12-02 बीघा व ख०नं० 2667 रकबा 0-10 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 23-10 बीघा भूमि से ख०नं० 2544 व ख०नं० 2588 किता 2 कुल रकबा 10-18 बीघा लक्ष्मण वल्द रामा हिस्सा ½ एवं बरडीबाई बेवा चतरा, बाबूलाल वल्द चतरा हिस्सा ½ दर्ज हुई जबकि ख०नं० 2649 व 2667 किता 2 कुल रकबा 12-12 बीघा डूका वल्द नंडा के खाते दर्ज रही। ACEM कोर्ट ने अपने निर्णय (1986) में अप्रार्थी बाबूलाल को मृतक चतरा वल्द रामा का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या, मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दत्तक पुत्र मानकर उनके हिस्से 1/2 में बेवा बरदीबाई के साथ साथ बाबूलाल वल्द चतरा के रूप में दर्ज किया था। नामा० क्र० 969 Dt 19/6/1989 की पंजिका में हल्का पटवारी, ILR व TDR पिड़ावा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बाबूलाल को चतरा के दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद ख०नं० 2544 व 2588 की सहखातेदार बरदीबाई बेवा चतरा ने अपने हिस्से 1/4 का बेचान Dt 16/6/1992 को जरिये रजिस्ट्री नन्दलाल वल्द नाथूलाल कुम्हार निवासी खैराना (पिड़ावा) को कर दिया था जिसका नामा० क्र० 1145 Dt. 17/6/1992 दर्ज हुआ था। अप्रा० प्रार्थीगण ने आगे तर्क किया अप्रार्थी क्रम 1 बाबूलाल ने न्यायालय ACEM Jhalawar में एक अन्य वाद सं० 162/1993 बाबूलाल आत्मज चतरा बनाम बरदीबाई व अन्य पेश किया था (u/s 88, 92A, 188 RT Act) (दिनांक 29/08/1993 को) जिसमें स्वयं अप्रार्थी 1 ने स्वयं को चतरा का पुत्र स्वीकारा था। यह प्रकरण बाद में transfer होकर SDO Court pidawa में दर्ज हुआ था जिसका न० 162/2003 था जिसमें इस न्यायालय ने अदम पैरवी दिनांक 03/08/2006 से साबित नहीं होने से खारिज कर दिया गया था। इस वाद के साथ साथ पेश शपथपत्र (Affidavit) में बाबूलाल ने स्वयं को चतरा का पुत्र माना है। इसके बाद अप्रार्थी 1 ने SDO Court	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के निर्णय दिनांक 03/08/2006 को RAA Kota ने अपील में भी निर्णय को यथावत रखा है। इसी प्रकार लक्ष्मण पुत्र रामा द्वारा 5 रुपये के stamp paper पर लिखे गोदनामा इकरारनामा दिनांक 01/8/1990 में यह स्वीकार किया कि मैंने अपने बड़े पुत्र बाबूलाल को चतरा को गोद दे दिया था। उपरोक्त आधार पर बाबूलाल के मृतक चतरा के गोद जाने से स्वामित्व पिता लक्ष्मण की भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नहीं बनता है फिर राजस्व कार्मिकों ने विधि विरुद्ध रूप से लक्ष्मण का फौती नामान्तरण क्र0 2316 दिनांक 14/11/2011 तीनों दो पुत्रों के साथ गोद गये पुत्र अप्रार्थी 1 के नाम भी दर्ज कर दिया अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।
	विद्वान अधि0 अप्रार्थी सं0 2 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत बहस के पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण सं0 162/2003 बाबूलाल बनाम सरकार में भी SDO court ने इसे चतरा का दत्तक पुत्र नहीं मान कर दिनांक 03/08/2006 को वाद खारिज कर दिया था। अपील में RAA Kota ने भी इसे गोद पुत्र नहीं मान कर अपील खारिज कर दी थी। अप्रार्थी 1 को खसरा 2544 व 2588 में हिस्सा 1/4 चतरा से विरासत में प्राप्त नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुई थी जबकि ACEM court के निर्णय सन् 1986 से प्राप्त हुई थी। नामान्तरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी या ILR द्वारा दत्तक पुत्र लिखने मात्र से विधि से दत्तक पुत्र नहीं बन जाता। अप्रार्थी 2 को ना तो कभी गोद लिया गया और ना ही ऐसा कोई रजिस्टर्ड या अन-रजिस्टर्ड गोदनामा है। Hindu minority and adoption Act 1956 की शर्तों के अनुसार गोदनामे मे गोद देना दम्पत्ति व गोदग्रहिता दम्पति के sign के साथ साथ Age का अन्तर भी जरूरी है। आगे तर्क किया किया कि पिता लक्ष्मण द्वारा 5 रुपये के stamp paper पर दिनांक 11/5/1994 को एक इकरारनामा, जिस पर अप्रार्थीगण के sign नहीं है, लिखने से अप्रार्थी कानूनी मे गोदपुत्र नहीं बन जाता है। पिता लक्ष्मण की वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी 2 का बराबर भाग पर कब्जाकाश्त है अतः प्रकरण प्रथम हल्का रिकॉर्ड खातेदार अप्रार्थी 1 व 3 के पक्ष मे है। आगे अप्रार्थी 4 द्वारा प्रार्थीगण की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 5 के पिता दिनांक 16/06/1992 से वर्ष रजिस्ट्री रिकॉर्ड सह-खातेदार दर्ज चला आ रहा है जिसका	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 3 में कोई सम्बंध ही नहीं है। अप्रार्थी 4 ने अप्रार्थी क्रम 5 से अपने रज़ि० विक्रय पत्र दिनांक 23/09/2025 से भूमि क्रय कर अपने नामा० सं० 469 दिनांक 30/9/2025 से खातेदार दर्ज चला आ रहा है। विवाद प्रार्थी व अप्रार्थी 1 का है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 4 व 5 के विरुद्ध कोई भी अनुतोष क्लेम नहीं किया है। अतः अप्रार्थी 4 व 5 के विरुद्ध स्थगन खारिज योग्य है। बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी 1 को मृतक चतरा वल्द रामा द्वारा गोद ग्रहण किया गया था या नहीं — यह प्रश्न मूलवाद मे तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णीत किया जायेगा लेकिन क्या प्रथम द्रष्टया गोदपुत्र होना प्रतीत होता है — यह हस्तगत प्रा० पत्र मे देखना है। प्रार्थी द्वारा पेश नामा० सं० 969 दिनांक 19/06/1989 जो न्यायालय ACEM court के 1986 के निर्णय व डिक्री की पालना मे तस्दीक किया गया था — के अवलोकन से प्रथम द्रष्टया जाहिर है कि अप्रार्थी 1 को चतरा के वारिस (पुत्र) के रूप में बेवा बरदीबाई के साथ-साथ $\frac{1}{4}$ भाग पर खातेदार घोषित किया गया था। प्रार्थी द्वारा ईजराय आदेश दिनांक 08/4/1986 लक्ष्मण वल्द रामा बनाम (i) नूरका वल्द नंदा, (ii) बरदीबाई बेवा चतरा (iii) बाबूलाल वल्द दत्तकपुत्र चतरा से भी जाहिर

उपखण्ड अधिकारी, छिपाबड़ौद, जिला बारां

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	है कि अप्रार्थी 1 को चतरा के दत्तक पुत्र के रूप में तत्कालीन प्रकरण में पक्षकार बनाया (प्रतिवादी) गया था और यह वाद (suit) स्वयं लक्ष्मण वल्द रामा ने दायर किया था, जो बाबूलाल के जामड़ाता पिता है। अप्रार्थी 1 द्वारा ACEM झालावाड़ में पेश वाद जो वाद में SDO court पिड़ावा में transfer होकर वाद CO 162/2003 के रूप में दर्ज हुआ - में भी स्वयं को चतरा के पुत्र के रूप में माना। वाद में पेश शपथपत्र में चतरा का पुत्र माना। इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 3 (मूल प्रकरण 532/1993 ACEM court) लक्ष्मण के फौत होने पर पेश प्रा0 पत्र O22 R4 CPC दिनांक 26/9/1994 में स्वयं अप्रार्थी 1 ने लक्ष्मण के वारिसान में स्वयं को पुत्र नहीं माना था। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण वल्द रामा द्वारा 5 रुपये के पारिवारिक बटवारा इकरार दिनांक 01/5/1994 में भी अप्रार्थी 1 को चतरा के गोद जाना स्वीकार है। इसी प्रकार चतरा वल्द रामा द्वारा 5 रुपये के stamp paper पर लिखे गोदनामा दिनांक 31/12/1983 में अप्रार्थी 1 का गोद जाना जाहिर होता है। किसी गोदनामा का Registration Act 1908 में या The Hindu adoptions and maintenance Act 1956 में पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है, अगर मजबूत सबूत से गोद ग्रहण साबित है तो भी गोद पुत्र माना जायेगा। यहां प्रार्थी द्वारा पेश ~~कब्जा~~ लक्ष्मण वल्द रामा के फौती नामान्तरण सं0 2316 दिनांक 14/11/2011 के साथ संलग्न आवेदन दिनांक 11/11/2021 स्वयं अप्रार्थी बाबूलाल	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	को तहसीलदार पिडावा को पेश किया था तहसीलदार पिडावा को यह आवेदन अपने रजिस्टर में इन्द्राज कर निर्णय हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत रायपुर को भेजना था यदि आवेदन की दिनांक से 45 days में ग्राम पंचायत निर्णय नहीं करती है तब जाकर तहसीलदार का क्षेत्राधिकार उत्पन्न होता है लेकिन तात्कालीन तहसीलदार ने ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर आवेदन प्राप्ति के 03 दिन बाद ही स्वयं ने दिनांक 14/11/2011 को निर्णीत कर दिया जो राजस्व विभाग एवं राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्रों के विरुद्ध होने से प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में (अप्रार्थी 1 से 3 के हद तक) साबित है। अप्रार्थी 4 व 5 के हद तक नहीं। (ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण अप्रार्थी 1 से 3 के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी 1 के चतरा का गोद पुत्र होने से जन्मदाता पिता लक्ष्मण की सम्पत्ति में The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 के अनुसार कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अप्रार्थी 1 के पक्ष में सर्व नामा० क्र 2316 श्री TDR पिडावा द्वारा (45 days) क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णीत होने से शून्य व

	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अवैध है। यदि अप्रार्थी 1 बिना हक व विधिक अधिकार के वादग्रस्त भूमि का बेचान करता है या खुर्द बुर्द करता है तो प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भी साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- ग्राम रायपुर की वादग्रस्त भूमि में प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष (अप्रार्थी 1से 3) में साबित है। अप्रार्थी 1से 3 का प्रथम दृष्टया कोई हक निहित होना जाहिर नहीं होता है। अतः अप्रार्थी 1 सिर्फ नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर कोई अन्तरण करता है या भूमि को खुर्द-बुर्द करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकेगी।

2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायपुर की वादग्रस्त भूमि (सर्वे पूर्व) ख०न० 2544 एवं 2588 में अप्रार्थी 1से3 के दर्ज हिस्से के राजस्व रिकार्ड व मौके की ताफैसलामुकदमा यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी 4 व 5 के हिस्से पर कोई स्थगन नहीं होगा। अप्रार्थी 6 व 7 उपपंजीयक कार्यालय के stay order रजिस्टर में उक्त ख०न० में से अप्रार्थी 1से 3 के हिस्से पर स्थगन की entry कर कोई भी अन्तरण पंजीयन नहीं करे। जमाबंदी पर नोट अंकित नहीं करे। प्रकरण फैसल मुताबिक होकर

न्यायालय उपखण्ड अधि... पिड़ावा जिला झाला...

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक... हुक्म ... में ...
	नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature] 20/5/2026 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	